रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 494] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 12, 1990/कार्तिक 21, 1912
No. 494] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 12, 1990/KARTIKA 21, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1990

सा. का. नि. 901 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (ञ) और खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परेक्षण का व्यवन नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निरुद्ध या अदावाकृत परेषण के व्ययन की रीति :—(1) यदि—

(क) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 83 के अधीन निरुद्ध किसी परेषण का, या

(ख) अदावाकृत समझे गए ऐसे किसी परेषण का, जिसकी बाबत उक्त अधिनियम की धारा 84 के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं की जा सकती या उक्त सूचना में की गई अपेक्षा के अनुपालन में चूक हो जाती है,

लोक नीलामी द्वारा विक्रय नहीं किया जाता है तो प्रभागीय वाणिज्य अधीक्षक, अपनी यह राय होने पर कि नीलामी करना समीचीन नहीं है, उसके लिए कारण लेखबद्ध कर सकेगा और यह निदेश दे सकेगा कि प्रस्थापनाएं आमंत्रित करके परेषण या उसके भाग का विक्रय कर दिया जाए।

(2) परेषण के क्रय के लिए निम्नलिखित से प्रस्थापनाएं आमंत्रित की जा सकेंगी, अर्थात् :—

(क) परेषण में जैसा माल है उसके नियमित व्यवहारियों से, या

(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे विभागों से, जिसके बारे में ऐसी सम्भावना की जाती हो कि वे ऐसे माल का क्रय करेंगे, या

(ग) सरकारी उपक्रमों से।

(3) प्रभागीय वाणिज्य अधीक्षक सबसे ऊंची कीमत की प्रस्थापनाएं स्वीकार कर सकेगा और माल का सबसे ऊंची प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति को विक्रय किया जा सकेगा,

(4) जहां केवल एक ही प्रस्थापना प्राप्त होती है, वहां प्रभागीय वाणिज्य अधीक्षक माल की दशा और क्वालिटी तथा बाजार की विद्यमान दर को ध्यान में रखते हुए उस प्रस्थापना को यदि वह उसे माल की उचित कीमत समझता है तो स्वीकार कर सकेगा और माल का प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति को विक्रय किया जा सकेगा।

3. लोक नीलामी के लिए सूचना :—जहां ऐसा कोई स्थानीय समाचारपत्र नहीं जिसमें लोक नीलामी की सूचना प्रकाशित की जा सकती हो, वहां ऐसी सूचना, :—

(क) माल-शैड,

(ख) पार्सल कार्यालय;

(ग) शुल्क संपत्ति कार्यालय, यदि कोई हो, या ;

(घ) उस परिसर में, जहां ऐसी नीलामी की जाती है,

किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।

[सं. 89—टी बी /III/1/4/ आर ए—89/खंड 83/(2) (3)]

एस. के. मलिक, निदेशक, यातायात वाणिज्य (दावा) रेलवे बोर्ड

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 1990

G.S.R. 901(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (j) and (k) of sub-section (2) of section 87 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Disposal of Consignment Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Manner of disposal of detained or unclaimed consignment :—(1) If any consignment,—

(a) detained under section 83 of the Railways Act, 1989, or

(b) treated as unclaimed in respect of which notice under section 84 of the said Act cannot be served or there is a failure to comply with the requisition in the said notice,—

is not sold by public auction, the Divisional Commercial Superintendent may, on being of the opinion that it is not expedient to held the auction, record reasons therefor in writing and may direct the sale of consignment or part thereof by inviting offers.

(2) Offers for the purchase of consignment may be invited,—

(a) from the regular dealers of such goods as are in the consignment ; or

(b) from such departments of the Central Government and of the State Government as appear likely to purchase such goods ; or

(c) from the government undertakings.

(3) The highest of the offers of price may be accepted by the Divisional Commercial Superintendent and the goods may be sold to the highest offerer ;

(4) Where only one offer is received, the Divisional Commercial Superintendent may, keeping in view the condition and quality of the goods and the prevailing market rate, accept that offer if he considers such offer to be a fair price for the goods and the goods may be sold to that offerer.

3. Notice for public auction :—Where there is no local newspaper in which notice of the public auction can be published, such notice shall be displayed at a conspicuous place,—

(a) at the goods shed ;

(b) at the parcel office ;

(c) at the lost property office, if any, or

(d) at the premises where such auction is to be held.

[No. 89-TC-III|1|4-RA-89|Sec. 83 (2)(3)]

S. K. MALIK, Director, Traffic Comm|(Claims), Railway Board.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996